

एमएमटीसी लिमिटेड : कारपोरेट कार्यालय

कार्मिक प्रभाग

(आईआर अनुभाग)

संख्या 253/आईआर/सीओ/ 2014

दिनांक 01.11.2018

परिपत्र संख्या 11 /2018

दिनांक 30.09.2018 को समाप्त तिमाही के यू. एफ. आर. के अनुमोदन हेतु दिनांक 12.11.2018 को निदेशक मंडल की बैठक होने वाली है। धारा 9 के अनुसार "इनसाइडर के द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन एवं रिपोर्टिंग की आचार संहिता एवं फेयर प्रकटन 2015" एवं धारा 7.2 (बी) तथा धारा 7.3 एवं दिनांक 04.01.2013 के परिपत्र संख्या 80 के अनुसार सभी संबंधितों की सूचना के लिए 'एमएमटीसी की आचार संहिता के अधीन इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने' हेतु कंपनी की "ट्रेडिंग विंडो" दिनांक 05.11.2018 से 14.11.2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार "ट्रेडिंग विंडो" में परिभाषित ट्रेडिंग अवधि कंपनी की सिक्यूरिटीज की ट्रेडिंग के संबंध में है।

एमएमटीसी की वेबसाइट में "इनवेस्टर्स" के अंतर्गत दी गई सूचना के अनुसार सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि ट्रेडिंग विंडो बंद रहने की अवधि के दौरान एमएमटीसी के निदेशकों सहित कोई भी कार्मिक एमएमटीसी की प्रतिभूति (सिक्यूरिटीज) का व्यापार नहीं करेगा। ट्रेडिंग विंडो का प्रतिबंध ऐसे व्यक्ति जिनका कंपनी के साथ संविदात्मक अथवा वैश्वसिक (फिडुशिअरी) संबंध जैसे लेखा परीक्षक, लेखा(अकाउंटेंसी) फर्म, विधि फर्म, विश्लेषक, कन्सलटेंट्स इत्यादि जोकि कंपनी की सहायता एवं सलाह देने का कार्य करते हैं उन पर भी लागू रहेगा।



(धर्म सिंह)

महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रति:

1. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव/निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव
2. कारपोरेट कार्यालय के सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक
3. सभी क्षेत्रीय प्रमुख
4. सूचना पट्ट
5. कार्यालय आदेश फाइल
6. महासचिव, एमएमटीसी अधिकारी महासंघ, जयपुर / स्टाफ यूनियन, नई दिल्ली तथा एससी/एसटी वेलफेयर एशोसियेशन, नई दिल्ली ।
7. महाप्रबंधक (सिस्टम) - इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को एमएमटीसी वेबसाइट एवं इंटरनेट पर प्रदर्शित करें

व्यक्तिगत  
1.11.18

श्री प्रवीण